अध्याय IV

अन्य कर प्राप्तियाँ

कार्यपालक सारांश

कर संग्रहण में वृद्धि	वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान राज्य की कुल प्राप्ति की तुलना में राज्य उत्पाद प्राप्ति की प्रतिशतता में 9.47 प्रतिशत से 15.43 प्रतिशत की निरन्तर वृद्धि हुई, जबकि उपरोक्त अवधि के दौरान मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से प्राप्तियों की प्रतिशतता, बजट आकलन की तुलना में (–) 35 प्रतिशत से (+) 33.05 प्रतिशत के बीच था, जो अवास्तविक बजट तैयार किये जाने को दर्शाता है।
विभाग द्वारा हमलोगों के पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए अवलोकनों से संबंधित काफी कम वसूली	वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान हमलोगों ने राज्य उत्पाद से संबंधित 6,500 मामलों में ₹ 1,141.77 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किये जाने, राजस्व की हानि इत्यादि इंगित किए। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 387.11 करोड़ से सन्निहित 540 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। ₹ 387.11 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरुद्ध ₹ 0.23 करोड़ की नगण्य वसूली (0.06 प्रतिशत), सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की तत्परता में अभाव को संसूचित करता है। वर्ष 2007–08 से 2009–10 की अवधि के दौरान हमलोगों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से निबंधन विभाग से संबंधित 184 मामलों में ₹ 40.47 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किये जाने, सरकारी राजस्व का अवरुद्ध रहना इत्यादि इंगित किए। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 37.03 करोड़ से सन्निहित 185 मामलों, जिनमें पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये मामले भी शामिल हैं, में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा ₹ 3.16 लाख की वसूली की। ₹ 37.03 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरुद्ध ₹ 3.16 लाख की नगण्य वसूली (0.09 प्रतिशत), सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की तत्परता में अभाव को संसूचित करता है।
वर्ष 2010–11 में हमलोगों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम	वर्ष 2010–11 में हमलोगों ने राज्य उत्पाद से संबंधित 38 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 131.62 करोड़ से सन्निहित 95 मामलों में राजस्व की नहीं/कम वसूली, हानि एवं अन्य त्रुटियाँ पाया, जबकि मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से संबंधित 30 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान ₹ 3.02 करोड़ से सन्निहित 38 मामलों में राजस्व की नहीं/कम वसूली, हानि एवं अन्य त्रुटियाँ पाया।
इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाए गए कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किए जाने आदि से संबंधित अवलोकनों से चयनित ₹ 4.35 करोड़ से सन्निहित दृष्टांतस्वरुप कुछ मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली/सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पिछले कई वर्षों से निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी। हमारा ध्यान इस पर भी है कि यद्यपि हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से इस तरह का चूक स्पष्ट दृष्टिगोचर थे, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद एवं जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक इन गलतियों को पता लगाने में असमर्थ थे।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र की कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा पाए गए चूकों को भविष्य में टाला जाए। कम–से–कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

क : राज्य उत्पाद

4.1.1 कर प्रशासन

उत्पाद राजस्व का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण सरकार स्तर पर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग द्वारा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के शीर्ष स्तर पर आयुक्त उत्पाद द्वारा शासित है। बिहार मोलासेस नियंत्रण अधिनियम तथा नियमावली के शासन एवं क्रियान्वयन के लिए आयुक्त पदेन मोलासेस नियंत्रक भी हैं। मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, एक उपायुक्त उत्पाद तथा एक सहायक आयुक्त उत्पाद, आयुक्त का सहयोग करते हैं। पुनः, चार[1] प्रमंडलीय मुख्यालयों में एक–एक उपायुक्त उत्पाद होते हैं। जिला स्तर पर उत्पाद प्रशासन के प्रभारी जिला समाहर्ता होते हैं, जिनकी सहायता एक सहायक आयुक्त उत्पाद या अधीक्षक उत्पाद करते हैं।

राज्य में उत्पाद दुकानों के खुदरा बिक्रेताओं को सभी प्रकार के शराब की आपूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा शासित बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड का गठन अक्तूबर 2006 में किया गया था, जो एकमात्र थोक बिक्री डिपो के रूप में काम करता है।

4.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान बजट आकलन तथा राज्य उत्पाद से वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) / ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006–07	400.00	381.93	(–) 18.07	4.52	4,033.08	9.47
2007–08	500.00	525.42	25.42	5.08	5,085.53	10.33
2008–09	537.69	679.14	141.45	26.31	6,172.74	11.00
2009–10	850.00	1,081.68	231.68	27.26	8,089.67	13.37
2010–11	1,400.00	1,523.35	123.35	8.81	9,869.85	15.43

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों की तुलना में राज्य उत्पाद से प्राप्तियों की प्रतिशतता में लगातार वृद्धि हुई है, जिसे अनुवर्ती वर्षो में बनाये रखने की आवश्यकता है।

राज्य उत्पाद की आकलित प्राप्तियों तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न बार डायग्राम में दिया गया है:

[1] भागलपुर–सह–मुंगेर, दरभंगा–सह–कोशी–सह–पूर्णिया, पटना–सह–मगध तथा तिरहुत–सह–सारण।

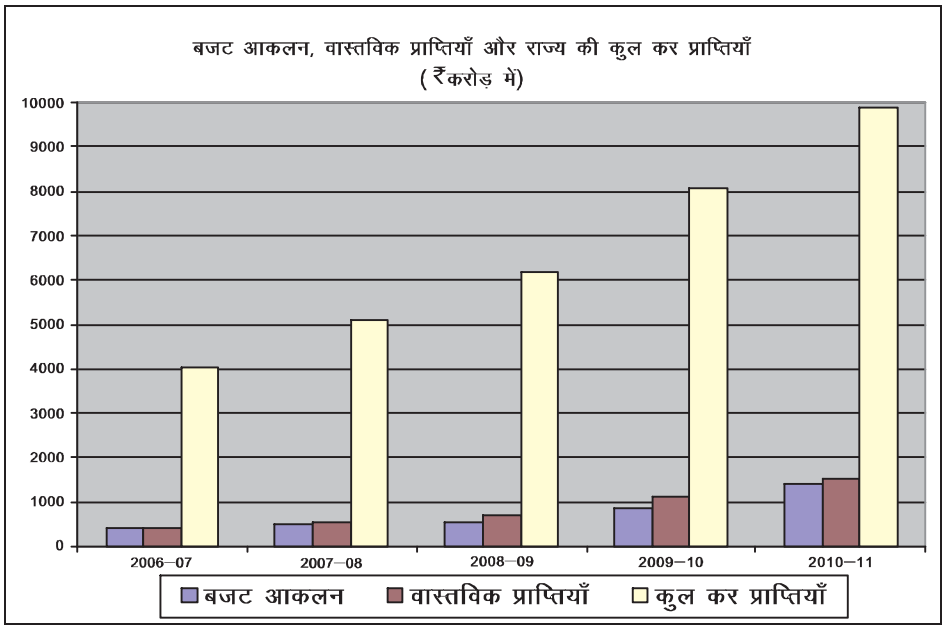

वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 9,869.85 करोड़) में राज्य उत्पाद प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:

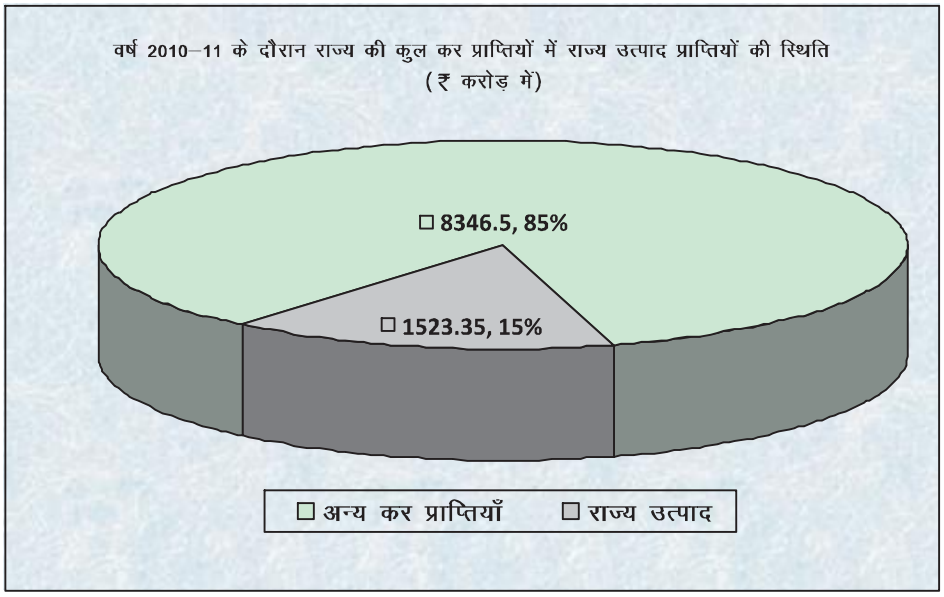

4.1.3 संग्रहण की लागत

राज्य उत्पाद प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	679.14	24.15	3.56	3.27
2009–10	1,081.68	44.02	4.07	3.66
2010–11	1,523.35	37.65	2.47	3.64

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2010–11 में राज्य उत्पाद प्राप्तियों के सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम था। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे के वर्षों में भी यह प्रवृति बना रहे।

4.1.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान, हमने अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व का आरोपण नहीं/कम किये जाने, वसूली नहीं/कम किये जाने, राजस्व की हानि इत्यादि के 6,500 मामले, जिसमें ₹ 1,141.77 करोड़ के राजस्व शामिल थे, इंगित किए। इसमें से, विभाग/सरकार ने ₹ 387.11 करोड़ से सन्निहित 540 मामलों के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं मात्र ₹ 23 लाख की वसूली की। इसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2005–06	42	2,659	149.90	83	1.08	शून्य	शून्य
2006–07	30	3,404	167.09	258	48.15	–	0.15
2007–08	32	149	149.60	4	0.47	शून्य	शून्य
2008–09	32	113	223.58	43	31.99	11	0.08
2009–10	39	175	451.60	152	305.42	शून्य	शून्य
कुल	**175**	**6,500**	**1,141.77**	**540**	**387.11**	**11**	**0.23**

स्वीकार किए गए ₹ 387.11 करोड़ से सन्निहित मामलों के विरूद्ध ₹ 23 लाख (0.06 प्रतिशत) की नगण्य वसूली, सरकार/विभाग द्वारा सरकारी बकायों की वसूली में तत्परता की कमी की ओर इंगित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

4.1.5 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभाग से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है।

वित्त (लेखापरीक्षा) की लेखापरीक्षा दल में तीन सदस्य होते हैं, जिसमें एक दल का प्रमुख होता है। लेखापरीक्षा हेतु अधियाचना की मात्रा को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय/प्रमंडलीय कार्यालयों से लेखापरीक्षा दल हेतु कर्मियों को लिया जाता है। निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग ने लेखापरीक्षा की जाने वाली

कार्यालयों की संख्या, किये गए लेखापरीक्षा की संख्या, निर्गत अवलोकनों की संख्या तथा मामलों में सन्निहित राशि से संबंधित सूचनाएँ हमें उपलब्ध नहीं कराया।

ख : मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

4.2.1 कर प्रशासन

अधिनियमों एवं नियमावली[2] के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क, निबंधन फीस, दंड राशि एवं अन्य बकायों का आरोपण एवं संग्रहण, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग के द्वारा शासित है, जिसके प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। विभाग, निबंधन विभाग के सचिव, जो मुख्य राजस्व नियंत्रण अधिकारी होते हैं, के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर निबंधन महानिरीक्षक की सहायता के लिए एक संयुक्त सचिव, दो उप महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। पुनः प्रमंडलीय स्तर पर नौ निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक होते हैं। जिला/प्राथमिक इकाई स्तर पर 38 जिला निबंधक, 38 जिला अवर निबंधक और अवर निबंधक, मुद्रांक और निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

4.2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान बजट आकलन तथा मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस से वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006–07	700.00	455.02	(–) 244.98	(–) 35.00	4,033.08	11.28
2007–08	720.00	654.15	(–) 65.85	(–) 9.15	5,085.53	12.86
2008–09	581.02	716.19	(+) 135.17	(+) 23.26	6,172.74	11.60
2009–10	750.00	997.90	(+) 247.90	(+) 33.05	8,089.67	12.34
2010–11	1,215.00	1,098.68	(–) 116.32	(–) 9.57	9,869.85	11.13

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस से प्राप्तियों की प्रतिशतता वर्ष 2006–11 की अवधि के दौरान बजट आकलन की तुलना में (–) 35 प्रतिशत से (+) 33.05 प्रतिशत के बीच रही, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा अवास्तविक रूप से बजट तैयार किया गया था।

मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की आकलित प्राप्तियों तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न बार डायग्राम में दिया गया है:

[2] भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; निबंधन अधिनियम, 1908; बिहार मुद्रांक नियमावली, 1991 तथा बिहार मुद्रांक (लिखतों के अवमूल्यन का निवारण) नियमावली, 1995।

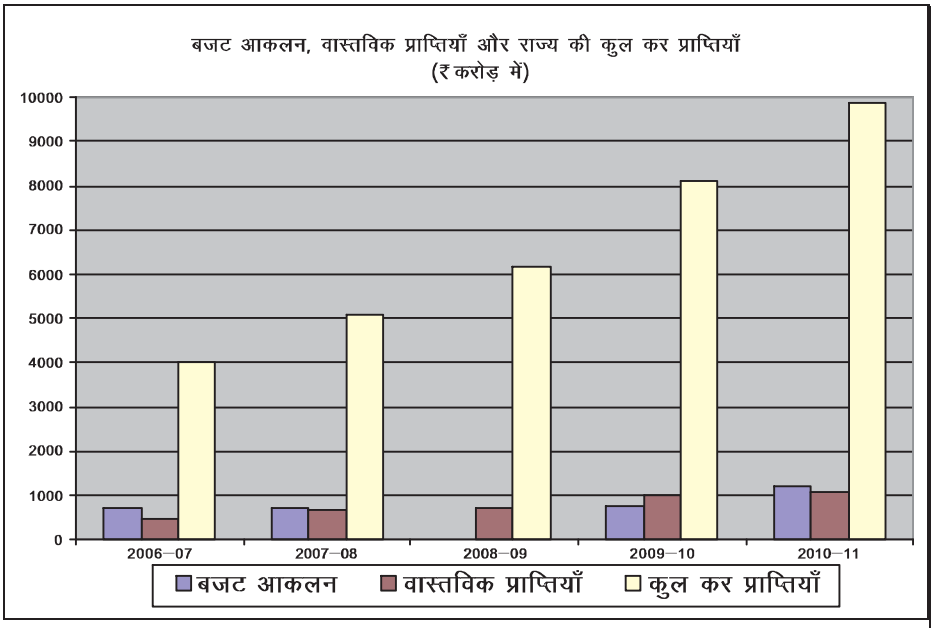

वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 9,869.85 करोड़) में मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:

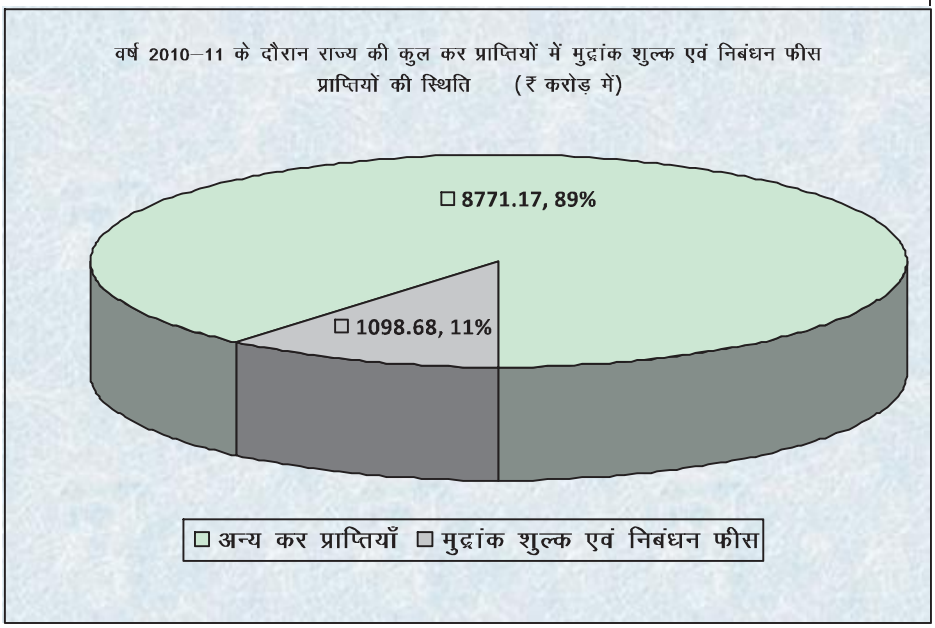

4.2.3 संग्रहण की लागत

मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	716.19	37.68	5.26	2.09
2009–10	997.90	45.90	4.60	2.77
2010–11	1,098.68	46.58	4.24	2.47

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2008–11 के दौरान, मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस से संबंधित संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता विगत वर्षों के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक था।

सरकार को आवश्यकता है कि आने वाले वर्षों में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता को अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से नीचे रखने हेतु उचित कदम उठाये।

4.2.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2007–08 से 2009–10 की अवधि के दौरान, हमने अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व का आरोपण नहीं/कम किये जाने, वसूली नहीं/कम किये जाने, राजस्व की हानि, इत्यादि के 184 मामले, जिसमें ₹ 40.47 करोड़ के राजस्व शामिल थे, इंगित किए। इसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 37.03 करोड़ से सन्निहित 185 मामलों, जिसमें वैसे भी मामले शामिल हैं जो पूर्व के वर्षों में इंगित किए गए थे, के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं मात्र ₹ 3.16 लाख की वसूली की। इसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
2007–08	20	11	0.17	4	0.01	1	1.52
2008–09	39	81	33.42	95	31.69	शून्य	शून्य
2009–10	31	92	6.88	86	5.33	2	1.64
कुल	**90**	**184**	**40.47**	**185**	**37.03**	**3**	**3.16**

स्वीकार किए गए ₹ 37.03 करोड़ से सन्निहित मामलों के विरूद्ध ₹ 3.16 लाख (0.09 प्रतिशत) की नगण्य वसूली, सरकार/विभाग द्वारा सरकारी बकायों की वसूली में तत्परता की कमी की ओर इंगित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

निम्न प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2010–11 के दौरान हमारी नमूना जाँच से 258 मामलों में ₹183.90 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं/कम किये जाने, हानि एवं अन्य त्रुटियों का पता चला, जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
कः राज्य उत्पाद			
1.	उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं/विलम्ब से होना	51	120.20
2.	निरस्तीकरण के उपरांत उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना	7	2.84
3.	न्यूनतम गारंटी मात्रा का नहीं/कम उठाव के कारण हानि	3	0.08
4.	लाईसेंस फीस की वसूली नहीं होना	4	0.58
5.	स्पिरिट के कम प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि	1	0.62
6.	अन्य मामले	29	7.30
कुल		**95**	**131.62**
खः मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस			
1.	प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना	20	2.11
2.	अर्थदण्ड मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना	5	0.13
3.	अन्य मामले	13	0.78
कुल		**38**	**3.02**
गः भू–राजस्व			
1.	सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होना	6	0.29
2.	गैरमजरूआ खास भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	7	0.09
3.	मांगों का कम संग्रहण किया जाना	22	41.30
4.	ब्याज की हानि	4	0.07
5.	अन्य मामले	86	7.51
कुल		**125**	**49.26**
कुल योग		**258**	**183.90**

वर्ष 2010–11 के दौरान संबंधित विभागों ने 14 मामलों में सन्निहित ₹ 79 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 6 लाख से अंतर्निहित दो मामले वर्ष 2010–11 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 4.35 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

4.4 सरकारी अधिसूचना/निर्णय का अनुपालन नहीं किया जाना

सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा जिला निबंधक/अवर निबंधक के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों एवं विभाग के आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप, हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय प्राधिकारियों द्वारा हुए इन चूकों को प्रत्येक वर्ष हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परंतु अनियमितताएँ न केवल निरंतर होती रही बल्कि लेखापरीक्षा किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। यह आवश्यक है कि सरकार आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

क : राज्य उत्पाद

4.5 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती

4.5.1 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं किया जाना

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत बने बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दुकान) नियमावली, 2007 के अंतर्गत खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। बिहार उत्पाद नियमावली, 2007 तथा बिक्री अधिसूचना के शर्तों के अनुसार उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती उत्पाद वर्ष के शुरूआत से पहले हो जानी चाहिए। पुनः नियमावली प्रावधित करता है कि समय पर मासिक अनुज्ञप्ति फीस जमा करने में विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सभी जिले के समाहर्त्ताओं को शत–प्रतिशत उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती करने के लिए निदेशित (जनवरी 2009) किया। इसके लिए, उत्पाद दुकानों हेतु लॉटरी द्वारा एक से तीन दुकानों की एक समूह प्रस्तावित किए जाने की आवश्यकता थी। समूह इस प्रकार बनाए जाने की आवश्यकता थी कि प्रत्येक दुकान राजस्व हित में बंदोबस्त किये जाए। पुनः, यदि खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती लॉटरी के माध्यम से नहीं होती है तो उत्पाद आयुक्त की स्वीकृति से बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड उन दुकानों को स्थापित करने एवं संचालन हेतु अधिकृत होगा।

अठारह जिला उत्पाद कार्यालयों[3] के बंदोबस्ती पंजियों/संचिकाओं की मई 2010 तथा मार्च 2011 के बीच नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि कुल स्वीकृत 2,915[4] उत्पाद दुकानों में से 720[5] दुकानों की अनुज्ञप्ति वर्ष 2009–10 के दौरान अबंदोबस्त पड़ी रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 97.43 करोड़ के राजस्व की हानि हुई **(परिशिष्ट–XX)**।

इन दुकानों की अबंदोवस्ती इस तथ्य का सूचक था कि या तो इन दुकानों के राजस्व प्रभावों को उचित ढंग से निर्धारित नहीं किया गया था अथवा उचित समूहबद्ध नहीं किया था। साथ ही अधिकृत उत्पाद दुकानों की अनुपस्थिति में, अबंदोबस्त दुकानों के लिए

---

3 अररिया, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सारण एवं पश्चिमी चम्पारण।

4 देशी शराब/मसालेदार देशी शराब : 818, भारत निर्मित विदेशी शराब : 736 एवं कम्पोजिट दुकानें : 1,361।

5 देशी शराब/मसालेदार देशी शराब : 195, भारत निर्मित विदेशी शराब : 144 एवं कम्पोजिट दुकानें : 381।

अनुज्ञप्ति फीस के खर्च पर अन्य उत्पाद दुकानों से इन क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति, जैसाकि जानकारी (जनवरी 2009) भी थी, से इंकार भी नही किया जा सकता है।

4.5.2 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती विलम्ब से किया जाना

जून 2010 एवं मार्च 2011 के दौरान हमने पाया कि 11[6] उत्पाद जिलों में वर्ष 2009–10 के दौरान 80[7] उत्पाद दुकानों की समय अवधि बीत जाने के बाद छः से 256 दिनों के विलम्ब से बंदोबस्ती की गई, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 2.95 करोड़ के राजस्व की हानि हुई **(परिशिष्ट–XXI)**।

4.5.3 निरस्तीकरण के बाद उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं किया जाना

दिसम्बर 2010 एवं मार्च 2011 के दौरान हमने पाया कि पाँच[8] उत्पाद जिलों में वर्ष 2009–10 के दौरान बंदोबस्त किए गए 17[9] उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति अप्रैल एवं दिसम्बर 2009 के बीच निरस्त किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 1.40 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संबंधित सहायक आयुक्त उत्पाद/उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि दुकानों की बंदोबस्ती हेतु प्रयास किए गए थे। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब ये दुकानें अबंदोबस्त पड़ी थी उस अवधि के दौरान बिहार राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित किए जाने की आवश्यकता थी। हालाँकि इन दुकानों को न तो बंदोबस्त किया गया और न ही बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया था।

इस प्रकार, वर्ष 2009–10 के दौरान सरकार को ₹ 101.78[10] करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त विभाग शत–प्रतिशत उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

---

6 बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, सारण एवं पश्चिमी चम्पारण।

7 देशी शराब/मसालेदार देशी शराब : 19, भारत निर्मित विदेशी शराब : 28 एवं कम्पोजिट दुकानें : 33।

8 जहानाबाद, नालन्दा, पटना, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चम्पारण।

9 देशी शराब/मसालेदार देशी शराब : 05, भारत निर्मित विदेशी शराब : 07 एवं कम्पोजिट दुकानें : 05।

10 राशि की गणना संबंधित उत्पाद दुकानों के लिए निर्धारित मासिक अनुज्ञप्ति फीस के आधार पर की गई है।

ख : मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

4.6 प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरुद्ध रहना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47(क) के तहत जब निबंधन प्राधिकारी को यह विश्वास होता है कि संपत्ति का बाजार मूल्य की घोषणा दस्तावेज में सही नहीं की गई है तब उसे बाजार मूल्य निर्धारण हेतु समाहर्त्ता के पास प्रेषित कर सकता है। पुनः, आयुक्त–सह–सचिव एवं निबंधन विभाग, के महानिरीक्षक, बिहार सरकार ने दिनांक 20 मई 2006 को सभी समाहर्त्ताओं को धारा 47(क) के तहत् प्रेषित मामलों को 90 दिनों के भीतर त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित निबंधन कार्यालय के निरीक्षकों को हस्तांतरित करने का निदेश दिया।

निबंधन प्राधिकारी (जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद एवं अवर निबंधक, दाउदनगर) द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं एवं प्रेषित मामलों के पंजी की जनवरी एवं फरवरी 2011 के बीच संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि धारा 47 (क) के तहत् 2001–10 की अवधि के दौरान संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु 227 मामले समाहर्त्ता, औरंगाबाद/ निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, गया को प्रेषित की गई थी। पुनः हमने उपरोक्त 227 मामलों में से 194 मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया (जुलाई 2011) एवं पाया कि अगस्त 2006 एवं जुलाई 2009 के दौरान निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, गया को प्रेषित किए गए ₹ 25.31 लाख से सन्निहित 58 मामले निष्पादन हेतु अभी तक लंबित थे। इसके अतिरिक्त 2001–02 से मई 2006 की अवधि से संबंधित ₹ 36.13 लाख से सन्निहित 54 मामले, जिसे समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, गया को हस्तांतरित किए गए थे, भी निष्पादन हेतु लंबित थे। इस प्रकार प्रेषित किए गए मामलों के निपटारा नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 61.44 लाख का सरकारी राजस्व अवरूद्ध रहा।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संबंधित जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक ने कहा कि लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु निबंधन कार्यालय के निरीक्षक से अनुरोध किया जाएगा, जबकि निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, गया ने कहा कि अधिसंख्य मामलों का निपटारा कर दिया गया था एवं शेष मामले प्रक्रियाधीन थे। जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर किया जाना था।

मामले सरकार/विभाग को अगस्त 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।